SHRUSHTI

SHRUSHTI SEVA SAMITI, INDIA

An NGO Dedicated to Social Transformation

22, Sarvottom Complex, Road, No.-5, Behind Vaishali Apartment,
Sector-4, Hiran Magri, Udaipur (Raj.) INDIA - 313 002

Email : shrushtisevasamiti@gmail.com | Website : www.shrushti.org

बच्चो के लिए बाल शोषण से जुडी पूर्ण जानकारी

SHRUSHTI

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

1. बाल शोषण क्या है?

बच्चो के साथ की गई किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा को बाल शोषण कहा जाता है। बाल शोषण एक बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, इसमें निम्न बातें शामिल है।

- शारीरिक शोषण
- यौन शोषण
- भावनात्मक शोषण
- उपेक्षा

2. बाल यौन शोषण क्या है ?

- बच्चे के साथ इस तरह की कोई चेष्टा करना, जिससे उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित होता हो।
- बच्चे के निजी अंगो को इस तरीके से छूना, जिससे वह खुद को असहज या भयभीत महसूस करे।
- बच्चे को यौन प्रवृत्ति के साथ स्पर्श करना।
- अपने शरीर के निजी भाग, ऊँगली या किसी अन्य वस्तु से किसी बच्चे के शरीर के निजी भाग को यौन सुख की प्राप्ति हेतु स्पर्श।
- नग्न लोगो या यौन सम्बन्ध रखने वाले लोगो की अश्लील सामाग्री (चित्र, फिल्म, पत्रिका) बच्चे को दिखाना।
- किसी बच्चे से अपने शरीर अथवा शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करवाना।
- यौन क्रिया देखने के लिए बच्चे को मजबूर करना।
- बच्चे को वैश्यावृत्ति में लगाना।

3. बच्चो के शोषण से जुड़े संकेतो के बारे में जाने :

1. बच्चो के साथ आवशयकता से अधिक समय बिताना :

   जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बच्चो के साथ समय व्यतीत करता है, या बच्चो के साथ बहुत अधिक घुलने मिलने की कोशिश करता है, वह बच्चो का शोषण करने वाला हो सकता है।

2. बेवजह शारीर को छूना :

   जो व्यक्ति बच्चो के साथ खेलते या बाते करते समय उनके निजी भागों व उसके आस–पास की जगह को छूने की कोशिश करता है, वह बच्चो का शोषण करने वाला हो सकता है।

3. माता – पिता या शिक्षको द्वारा बनाये नियमो की अवेहलना करने के लिए उकसाना :

   जो व्यक्ति बच्चो को नियमो को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है या उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं अगर हम एक नियम तोड़ भी देते है, या इन चीजो को परिवार, दोस्तों, शिक्षको आदि से छुपा कर रखते हैं, वह बच्चों का शोषण करने वाला हो सकता है।

4. बेवजह फोटो लेना या विडियो बनाना :

   जो व्यक्ति अनुमति के बिना किसी स्पष्ट कारण के नाबालिगो की तस्वीरें लेता है, वह बच्चो का शोषण करने वाला हो सकता है।

5. बेवजह उपहार देना या खाने की वस्तुए देना :

   जो व्यक्ति बिना किसी कारण के बच्चे को पैसे या उपहार देता है, या इस तरह के सामान देकर बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, वह बच्चों का शोषण करने वाला हो सकता है।

6. बच्चे के साथ ज्यादा एकांत में रहने की कोशिश करना :

   जो व्यक्ति बच्चे या किशोरी के साथ अकेले समय बिताने का अधिक प्रयास करता है या उनसे स्कूल, घर, बाजार आदि के बाहर मिलने की कोशिश करता है, वह बच्चो का शोषण करने वाला हो सकता है।

7. अनावश्यक सन्देश भेजना या अलग–अलग तरीको से बात करने की कोशिश करना :

   जो व्यक्ति संचार के अलग अलग माध्यम से व्यक्तिगत सन्देश भेजता है, या व्यक्तिगत बाते करने का प्रयास करता है।

8. शराब, ड्रग्स, अश्लील सामाग्री प्रदान करना :

   जो व्यक्ति बच्चो को शराब, ड्रग्स, आदि के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चो का शोषण करने वाला हो सकता है।

4. बाल यौन शोषण के बारे में मिथक और तथ्य

बाल यौन शोषण की वास्तविकता को समझने के लिए मोजूद मिथकों को समझना महत्वपूर्ण है। इस अपराध के बारे में सबसे प्रचारित मिथक निचे दिए गए है।

मिथक 1 – यदि बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, तो उस पर यौन हमले के लिए उसके माता–पिता / अभिभावक की गलती है। उन्हें अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहिए।

तथ्य – यह माता –पिता पर आरोप है। इस रवैये से अपराधी पर से दोष हटकर माता–पिता पर आ जाता है, जिससे अपराधी कार्यवाही से बच जाता है। अपराधी हमेशा वह व्यक्ति होता है, जो बाल यौन उत्पीडन के लिए जिम्मेदार होता है।

मिथक 2 – बालको का यौन शोषण करने वाले अपराधी ज्यादातर अजनबी होते है।

तथ्य – यह सच नहीं है य अनुमान है कि 70%-90% मामलो में अपराधी वह है, जो बच्चे को जानता है। उनके लिए जायज तरीके से बच्चे तक पहुंचना सहज होता है।

मिथक 3 – जो लोग अपने बच्चो का यौन शोषण करते है, वे दूसरो के बच्चो के लिए खतरा नहीं है।

तथ्य – यह सच नहीं है। बाल यौन अपराधी शायद ही कभी सिर्फ एक अपराध में संलग्न हो। एक बार जो अपने बच्चो के साथ अपराध करता है, वह दूसरे के बच्चे के साथ भी अपराध कर सकता है।

मिथक 4– बच्चे बहकावे में आकर बाल शोषण को आमंत्रित करते है।

तथ्य – यह पूर्णत: सच नहीं। कोई भी बच्चा यौन उत्पीडन नहीं चाहता। बड़ो के पास बच्चो को नियंत्रण करने की शक्ति होती है। उन्हें अपनी शक्ति का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए।

मिथक 5– केवल गरीब (निम्न आर्थिक–सामाजिक स्थिति वाले) लोगो के बच्चे ही यौन शोषण का शिकार बनते है।

तथ्य – यह सत्य नहीं। यौन शोषण किसी भी बच्चे का हो सकता है। किसी भी परिवार में हो सकता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित।

मिथक 6– यौन उत्पीडन होने पर बच्चे ने 'ना' नहीं कहा और न ही उसे रोकने की कोशिश कीय इसलिए बच्चे के साथ उत्पीडन में बच्चे का भी दोष है।

तथ्य – यह सच नहीं है य उत्पीडन के समय बच्चे जिस तनाव से गुजर रहे होते है, उसमे बच्चे को डराया–धमकाया जा सकता है , बच्चे को 'ना' कहने से रोका जा सकता है। दोषी हमेशा अपराधी होता है य क्यूंकि बच्चे सहमती देने असमर्थ होते है।

मिथक 7– बच्चे अपरिपक्व है, और वे गलत व्याख्या करते है, तथा गलत तरीके से किसी पर यौन शोषण का आरोप लगते है।

तथ्य – यह सत्य नहीं है। बच्चो के साथ जब शोषण शुरू होता है, तो वो लम्बे समय बाद इसका खुलासा करते हैं। अपराधी अक्सर आकस्मिक स्पर्श या 'गुदगुदी जैसे व्यवहार' से शुरूआत करते है और इस तरह खुद का बचाव कर बच्चो को को दोष देते हैं। बच्चा जब अपनी बात कहता है, तो स्वीकार किया जाना चाहिए तथा गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मिथक 8– बालकों का यौन शोषण नहीं किया जा सकता है।

तथ्य – यह सत्य नहीं है। आंकड़े बताते है कि बच्चो की कुल संख्या में उन लडको का प्रतिशत अधिक है, जिनका यौन शोषण हुआ हैं।

5. पोक्सो क्या है ?

लैंगिक अपराधो से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉम सेक्सुअल ओफेंसिस एक्ट, 2012) का संक्षिप्त रूप पोक्सो है। इस अधिनियम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चो को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जो 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं।

- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चो को इसमें शामिल किया गया है।
- लड़के और लडकियों दोनों इसमें शामिल है, और इसलिए यह लिंग निरपेक्ष अधिनियम (जेंडर न्यूट्रल एक्ट) है।
- सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में बच्चो के सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, अपराध की जांच, साक्ष्यो की रिकॉर्डिंग, चिकित्सीय जांच, शीघ्र प्रशिक्षण हेतु बाल मित्र प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, जिससे पीड़ित का पुन: उत्पीडन नहीं हो।
- सबूत का भार आरोपी पर है, इसका मतलब है कि यौन उत्पीडन के मामले में जिसने अपराध किया है, उसे खुद को निर्दोष/आरोपमुक्त साबित करना है।
- रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

6. पोक्सो के तहत अपराध और उसके लिए सजा के प्रावधान

अपराध	दंड
धारा 3 – प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) एक व्यक्ति जब – 1) किसी सीमा तक बच्चे की योनी, मूंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है, या बच्चे को उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 2) किसी सीमा तक बच्चे की योनी, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा (वेजाइना, पेनिस, एनस) में कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं हो, प्रवेश करता है, या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या 3) बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है, जिससे कि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 4) वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपने मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।	धारा 4 – • 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना (यदि बच्चे की अवस्था 16 वर्ष से कम है, तो कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना।)

धारा 5 – उत्तेजित (गुरूतर) प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल (सशस्त्र सेनाओ के सदस्य), डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक या बाल गृह के कर्मचारी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते है, तो उन परिस्थितियों में यह अपराध 'गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है।	धारा 6– कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना या मृत्युदंड।
धारा 7– लैंगिक हमला (सेक्सुअल असाल्ट) जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है प्रवेशन किये बिना शारीरिक संपर्क होता है, तो वह लैंगिक हमला करता है।	धारा 8 – 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना।
धारा 9 – गुरूतर लैंगिक हमला (एग्रेवेटेड सेक्सुअल असाल्ट) लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में 'गुरूतर लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है, जब अधिक तीव्रता से और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है। इस अपराध के तहत 'यौन हमले' में वे कार्य शामिल हैं, जिनमें कोई व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे प्राइवेट पार्ट्स को छूता है। 'गंभीर यौन हमले' में ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है या जिनमें बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाते हैं, इत्यादि। गंभीर यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और हैं– (1.) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (2.) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हारमोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना।	धारा 10 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्मानाद्य

धारा 11– लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुअल हैरसमेंट) जब कोई यौन आशय से– 1) कोई शब्द/आवाज/संकेत करता है या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शन करता है। 2) बच्चे से उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने को कहता है। 3) अश्लील लेखन के प्रयोजनों के लिए किसी रूप में या मीडिया में बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है। 4) या तो सीधे ही या इलेक्ट्रोनिक, डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये बच्चे का बार–बार या लगातार पीछा करता है, या देखता है, या संपर्क करता है। 5) मीडिया के किसी भी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग या बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देता है। 6) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों एवं यौन संतुष्टि के लिए बच्चे को फुसलाता या लुभाता है, तो वह लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुयल हैरसमेंट) का अपराध करता है।	धारा 12 3 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 13 – अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।	धारा 14 पहले अपराध पर पाँच साल तक की सजा और जुर्माना; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना।
धारा 15 – पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री का संग्रह जो कोई भी व्यक्ति।	धारा 16 1) पहले अपराध पर 5,000 रूपए का जुर्माना और दूसरे अथवा

1) ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री को जमा करते हैं, या अपने पास रखते हैं, जिसमें बच्चा शामिल है, और उस सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं; या 2) जो कोई भी सामग्री को आगे प्रेषित करने या उसका प्रचार करने के लिए सामग्री जमा करते हैं, या 3) व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अश्लील साहित्य को जमा करते हैं, तो वह पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री के संग्रह का अपराध करते है।	उसके बाद अपराध किए जाने पर 10, 000 रूपए का जुर्माना 2) जुर्माने के साथ–साथ तीन साल तक के कारावास की सज़ा 3) पहले अपराध पर तीन से पाँच साल तक की सजा; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा
धारा 17 – किसी अपराध के लिए उकसाना – उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है। यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया जाता है, तो यह दंडनीय हैं	उस सज़ा के लिए दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई है
धारा 18 – किसी अपराध को करने का प्रयास द्र जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने हेतु कोई कार्य करता है, तो यह दंडनीय हैं।	ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 21 – इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना।	छह महीने तक के कारावास और/ या जुर्माने से दंडित किया जाएगा
धारा 22 – कोई व्यक्ति, जो धारा 3 (प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 5 (गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 7 (लैंगिक हमला, धारा 9 (गुरूतर लैंगिक हमला) के अधीन किये गए किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या उसकी मानहानि करने के उद्देश्य से उसके बारे में झूठ बोलेगा या झूठी सूचना देगा 1) यदि झूठी शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसे बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।	

2) जो कोई बालक नहीं होते हुए भी, किसी बालक के विरूद्ध कोई झूठी बात बोलेगा या यह जानते हुए भी कि उसकी सूचना झूठी है, वह यह झूठी सूचना देगा, जिसके कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध में ऐसा बालक पीड़ित होगा, दंडनीय है।	छह मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 23 – कोई व्यक्ति, जो बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका–टिप्पणी करता है, जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है या मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे कि –नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा होता है।	छह मास से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंड।

नोट : इस अधिनियम के तहत सभी अपराधो की गंभीर अपराध माना जाता है।
ऐसे अपराध गैर–जमानती और संज्ञेय है।

7. कहां रिपोर्ट करे

- चाइल्ड लाइन –1098
  - ❋ चाइल्ड लाइन भारत में बच्चे के संरक्षण हेतु 24/7 (चौबीस घंटे के लिए) एक आपातकालीन टेलीफ़ोन सेवा हैं । इस सेवा को दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा गया है ।
  - ❋ चाइल्ड लाइन भारत में बच्चे के संरक्षण हेतु 24/7 (चौबीस घंटे के लिए) एक आपातकालीन टेलीफ़ोन सेवा हैं । इस सेवा को दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा गया है ।
  - ❋ संकट होने पर कोई भी बच्चा या बच्चे की ओर से कोई भी व्यस्क 1098 नंबर पर फ़ोन कर सकता है ।
  - ❋ 1098 याद रखने में आसान है तथा टोल फ्री नंबर (मुफ्त) है।
- पुलिस –100
  - ❋ यदि जिले में स्थानीय पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी. यू.) उपलब्ध है, तो मामले को वहां भी दर्ज किया जा सकता है ।

8. रोकथाम

- रोकथाम की दिशा में पहला कदम यौन मुद्दों पर चर्चा के लिए विश्वास, गोपनीयता व खुलेपन का माहौल बनाना है ।

- स्कूल आधारित रोकथाम कार्यक्रम द्वारा बाल यौन मुद्दों पर अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों तथा किशोरों को सुरक्षित रहना सिखाना।
- सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बच्चो और किशोरों को सिखाना की उन्हें 'गुड टच' और 'बेड टच' को कैसे पहचानना है या यदि उनके साथ या उनके ज्ञान में किसी और के साथ ऐसा होता है, तो उसे क्या करना चाहिए।
- बच्चो और किशोरों को यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में सिखाना, ताकि अपराधियों को पकड़ लिया जाए और वे अधिक बच्चो को निशाना न बनाये।
- बाल यौन शोषण के मिथकों और तथ्यों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना।
- बाल यौन शोषण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माता–पिता अपने बच्चे के साथ तालमेल बना सकें, इस हेतु माता पिता को संवेदनशील बनाना।
- बाल यौन शोषण पहचानने और इससे निपटने के लिए माता पिता को प्रशिक्षित करना।

9. कौन रिपोर्टकर सकता है

कोई व्यक्ति, जिसे यह आशंका है कि कोई अपराध किए जाने की संभावना है या वह यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, जिसमे बच्चे भी शामिल है, तो वह इस मामले की रिपोर्ट कर सकता है।

- ❋ मिडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटोचित्रण सम्बन्धी सुविधाओं के कर्मचारी यदि यह पाते है कि कोई बच्चे के अश्लील या लैंगिक उत्पीडन में या बच्चो के लैंगिक शोषण से सम्बंधित कार्य (जिसमे अश्लील साहित्य, लिंग सम्बन्धी या बालक या बालको का अश्लील प्रदर्शन करना भी है) में शामिल है, तो उनके लिए बाध्यता है कि वे इस बारे में जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
- ❋ इस तरह के किसी अपराध की रिपोर्ट न करने वाले व्यक्ति को छह माह तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंबच्चो डित किया जा सकता है।
- ❋ यह जुर्माना किसी बच्चे पर नहीं लगाया जा सकता।

9. बाल हित प्रक्रियाएं

- किसी भी चरण के दौरान आरोपी/ अभियुक्त को बच्चे के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए।
- विवरण, निवास या उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज किये जाने चाहिए।
- पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए।
- संभवत: एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किया जाना चाहिए।
- मीडिया से संरक्षित किये जाने वाले बच्चे की पहचान।

- बच्चो को रात में पुलिस थाने में नहीं रखा जाना चाहिये।
- बच्चो को अनुवादक/विशेष शिक्षक प्रदान किया जाना चाहिए।
- चिकित्सा परीक्षा अभिभावकों/माता–पिता की उपस्थिति में होनी चाहिए।
- जहां तक संभव हो, बयान ऑडियो विसुअल इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमो द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।
- बयान माता–पिता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति की ओर से जब आपको गलत या अश्लील संकेत महसूस हो तब आप क्या करें ?

- चुप न रहे, 'ना' बोलना सीखे।
- जिस व्यक्ति के साथ आप सुरक्षित महसूस नहीं करते, उसके द्वारा दी गयी किसी भी तरह की खाने–पीने की वस्तुओं को लेने से बचे।
- आप उन लोगो के साथ लम्बी बातचीत में शामिल न हो, जो आपको खतरनाक या असुविधाजनक लगते है।
- माता पिता या दोस्तों को बिना बताये किसी अजनबी के साथ बाहर न जायें।
- अपने अधिकारों को जाने।
- सुरक्षित या असुरक्षित स्पर्श के फर्क को समझे।
- किसी भी मदद के लिए डायल करे चिल हेल्प लाइन नंबर 1098

हमेशा याद रखे रू जब भी कोई अनुचित स्पर्श या गलत इस्तेमाल की नियत से आपको लुभाने की कोशिश करे तो यह याद रखे की आपके शारीर पर सिर्फ आपका अधिकार है, ये न तो किसी की संपत्ति है, और न ही किसी की वस्तु।